M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 540 दिनांक : 20.05.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
—————————

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)
CONTECT PERSON - MANISH RICHARIYA - 9893549074

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR-CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
G.I. WATER TANKER								
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

---- 2

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।
   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक / निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
   (ब) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –
   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

.......4

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
20/05/25

541
20-5-25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA** KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)
CONTECT PERSON - MANISH RICHARIYA - 9893549074

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
20/05/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 542 दिनांक : 20.05.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

ANIL INDUSTRIES - OFFICE ADDRESS : KANJIYA ROAD, KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP) - 470118 **CON.** MR. ANIL RICHARIYA : 9993780433

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

---- 2

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :—

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी., ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

.......4

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

543
20-5-25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **ANIL INDUSTRIES - OFFICE ADDRESS :** KANJIYA ROAD, KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP) - 470118 **CON.** MR. ANIL RICHARIYA : 9993780433

M. P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 538 दिनांक : 20.05.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS, - INFRONT INDIAN GAS GODAM,MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001 **CONTECT PERSON** - SMT YOGITA SINGH MO-9131889282

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी., ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक / निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

.......4

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

539
20-5-25

प्रबंधक (विपणन)
20/05/25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS, - INFRONT INDIAN GAS GODAM,MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001 **CONTECT PERSON** - SMT YOGITA SINGH MO-9131889282

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
20/05/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 536 दिनांक : 20.05.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

HINDUSTAN FABRICATORS, OFFICE ADDRESS : B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016 **CONTECT PERSON** : ABHISHEKH GOUD - 9039099059

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

	G.I. WATER TANKER							
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान –</u> प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखें ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

......4

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd * BHOPAL *

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

537
20-5-25

प्रबंधक (विपणन)
20/5/25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

HINDUSTAN FABRICATORS, OFFICE ADDRESS : B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016
CONTECT PERSON : ABHISHEKH GOUD - 9039099059

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
20/5/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755-2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 544 दिनांक : 20.05.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

R.K. INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS - 19/1, 20/2 NARELI ARCUDE MANORAMAGANJ INDORE **CONTACT PERSON**- KHUSRO NISAR : 9826036295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
2	M.S WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
G.I. WATER TANKER								
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी., ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 545 20-5-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **R.K. INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** - 19/1, 20/2 NARELI ARCUDE MANORAMAGANJ INDORE **CONTACT PERSON**- KHUSRO NISAR : 9826036295

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 534 दिनांक : 20.05.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

FABRICON INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS - SEMI URBAN INDUSTRIEAL AREA, DHAR
CONTECT PERSON - AZIZ KHAN : 8770064640

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	-	-	-	-	-	-	-
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

---- 2

G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **<u>भुगतान</u>** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **<u>तकनीकी मापदण्ड :</u>** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

.......4

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

535
20-5-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

FABRICON INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS - SEMI URBAN INDUSTRIEAL AREA, DHAR **CONTECT PERSON** - AZIZ KHAN : 8770064640

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 532 दिनांक : 20.05.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

NEW MALWA AGRO & FABRICATORS, OFFICE ADDRESS - 81 BASANT VIHAR DHAR
CONTECT PERSON- MUJIB UR REHMAN KHAN MO- 9425046639

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	-	-	-	-	-	-	-
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक / निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी. ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखें ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......4

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

533
20-5-25

प्रबंधक (विपणन)
20/5/24

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **NEW MALWA AGRO & FABRICATORS, OFFICE ADDRESS** - 81 BASANT VIHAR DHAR **CONTECT PERSON**- MUJIB UR REHMAN KHAN MO- 9425046639

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd.

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 530 दिनांक : 20.05.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD. - PLOT NO - 20 AKVN ACHARRPUR INTHKHEDI BHOPAL **CONTECT PERSON**-LAKHAN THAKUR - 9827811197

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ✱BHOPAL✱

......3

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4 **सामग्री की गुणवत्ता**

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सेम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **<u>भुगतान</u>** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"<u>भुगतान पश्चात् भुगतान</u>"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **<u>तकनीकी मापदण्ड</u>** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी. ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करायेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

......4

8. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. ट्रेड सार्टिफिकेट : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. अन्य नियम एवं शर्ते : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
20/05/25

531
20-5-25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD.,** PLOT NO - 20 AKVN ACHARRPUR INTHKHEDI BHOPAL **CONTECT PERSON** : LAKHAN THAKUR - 98278[illegible]

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
20/5/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 667 दिनांक : ~~22.05.2025~~ 02-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

MANISH FABRICATION : NEW OLD FORT, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP)
CONTECT PERSON- RAJKUMAR VISHWAKARMA : 9893343199, 7000296652

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	-	-	-	-	-	-	-
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. ★ BHOPAL ★

---- 2

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :—

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25. 03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

668
02-6-25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **MANISH FABRICATION :** NEW OLD FORT, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP)
   CONTECT PERSON- RAJKUMAR VISHWAKARMA : 9893343199, 7000296652

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd * BHOPAL *

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 665 दिनांक : ~~22.05.2025~~ 02-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES, - KANJIYA LAHATWAS ROAD, VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118 **CONTECT POESON**-GULAB SINGH MO - 8120241122

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......3

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **<u>तकनीकी मापदण्ड :</u>** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी. ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखें ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

.......4

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
28/5/25

प्रतिलिपि :- 666
02-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES,** - KANJIYA LAHATWAS ROAD, VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118 **CONTECT POESON**-GULAB SINGH MOB - 8120241122

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
28/5/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टेंकर/2025-26/663 दिनांक : 22.05.2025
02-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA - 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP)
CONTECT PERSON - RITESH VYAS : 7000351200, 9584301120

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
G.I. WATER TANKER								
2	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. <u>**दरों की प्रभावशीलता**</u> : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. <u>**आदेश की प्रकिया**</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **<u>सामग्री की गुणवत्ता</u>** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

..... 3

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सकें)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

..... 4

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
28/05/25

664
02-6-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA** - 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP) **CONTECT PERSON -** RITESH VYAS : 7000351200, 9584301120

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
28/05/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 661 दिनांक : ~~22.05.2025~~ 02-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

A-ONE WELDING WORKS, BALWADI,TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI (MP) - **451666 CONTECT PERSON -** SARFUDDIN LADAWAT MOB-9090919158, 9098669158

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

M. P. State Agro Ind. Dev. ... BHOPAL

---- 2

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :—

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन—लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** — प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** —

   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

.......3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

......4

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

662
02-6-25

प्रबंधक (विपणन)
28/5/25

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S A-ONE WELDING WORKS,** BALWADI,TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI (MP) - 451666 **CONTECT PERSON** - SARFUDDIN LADAWAT MOBILE NUMBER - 9090919158, 9098669158

प्रबंधक (विपणन)
28/5/25

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 659 दिनांक : ~~22.05.2025~~ 02-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

MAHALAXMI INDUSTRIES, OFFICE ADD - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT -SAGAR 470118 **CONTECT POESON**-NARAYAN SINGH MO - 9981471295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।
   - (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
   - (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
   - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
   - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

.......3

(ब) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **<u>भुगतान</u>** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **<u>तकनीकी मापदण्ड</u>** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

.......4

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन) 28/05/25

प्रतिलिपि :- 660 02-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **MAHALAXMI INDUSTRIES, OFFICE ADD** - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT - SAGAR 470118 **CONTECT POESON**-NARAYAN SINGH MO - 9981471295

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन) 28/5/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 673 दिनांक ~~: 22.05.2025~~ 02-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S PUNA IRON INDUSTRIES : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) **CONTECT PERSON** - RAMAKANT PANDEY : 9090871100

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ✱BHOPAL✱

---- 2

7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।
   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

.......3

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **<u>भुगतान</u>** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **<u>तकनीकी मापदण्ड</u>** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. <u>अधिरोपित शास्ति</u> : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......4

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

28/5/25

प्रबंधक (विपणन)

674
02-6-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PUNA IRON INDUSTRIES** : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) **CONTECT PERSON -** RAMAKANT PANDEY : 9090871100

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

28/5/25

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 671

दिनांक ~~22.05.2025~~ 02-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

SADGURU SAI INFRA WORLD PVT. LTD. OFFICE ADDRESS - NEAR AIP AAY VARG SOCIETY OFFICE, SANJAY NAGAR, REWA - 486001 (MP) **CONTACT PERSON**-UDAY PRAKASH SINGH (DIRECTOR) : MOBILE : 8085253636

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	-	-	-	-	-	-	-
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।
   - (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
   - (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
   - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
   - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
   - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
   - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

......3

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी. ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd * BHOPAL *

......4

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

   Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
28/05/25

672
02-06-25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **SADGURU SAI INFRA WORLD PVT. LTD. OFFICE ADDRESS** - NEAR AIP AAY VARG SOCIETY OFFICE, SANJAY NAGAR, REWA - 486001 (MP) **CONTACT PERSON**-UDAY PRAKASH SINGH (DIRECTOR) : MOBILE : 8085253636

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
28/05/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टेंकर/2025–26/669 दिनांक : ~~22.05.2025~~ 02-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
————————

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

TRUE VISION INC, OFFICE ADDRESS : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR **CONTECT PERSON** - HARI MOHAN BOHRE : 7999019721

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR-CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।
   - (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
   - (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
   - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
   - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

......3

(ब) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>**"भुगतान पश्चात् भुगतान"**</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक / क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M. P. State Agro Ind. Devp. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
28/05/25

670
02-6-25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **TRUE VISION INC, OFFICE ADDRESS** : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR **CONTECT PERSON** - HARI MOHAN BOHRE : 7999019721

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ✶ BHOPAL ✶

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025-26 / 696 दिनांक : ~~28.05.2025~~ 04-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH, OFFICE ADDRESS 606/12 SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE (MP) - 452002 **CONTECT PERSON -** PRAFULL PANCHAL : 9301535000

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
G.I. WATER TANKER								
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

(अ) प्रदाय आदेश मे सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधको द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. *BHOPAL*

.......3

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये है। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखें ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

10. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

11. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

12. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
04/06/25

697
04-6-25

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH, OFFICE ADDRESS** 606/12 SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE (MP) - 452002 **CONTECT PERSON** - PRAFULL PANCHAL : 9301535000

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd * BHOPAL *

प्रबंधक (विपणन)
04/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टैंकर / 2025–26 / 694 दिनांक : ~~28.05.2025~~ 04-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S JAY COMPANY, OFFICE ADDRESS - 62, BARWANI ROAD, ANJAD DIST. BARWANI (MP)
CONTACT PERSON- SHRI DEEPAK PATIDAR MO-9993332450

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	-	-	-	-	-	-	-
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

G.I. WATER TANKER								
7	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. <u>दरों की प्रभावशीलता</u> : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. <u>आदेश की प्रक्रिया</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।
   - (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
   - (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
   - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
   - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक / निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......3

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान –</u> प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"<u>भुगतान पश्चात् भुगतान</u>"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड :</u> सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro. Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

10. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

11. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

12. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
04/06/25

प्रतिलिपि :- 695 / 04-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S JAY COMPANY, OFFICE ADDRESS** - 62, BARWANI ROAD, ANJAD DIST BARWANI (MP) **CONTACT PERSON**- SHRI DEEPAK PATIDAR MO-9993332450

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
04/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755-2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in   CIN No U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टैंकर / 2025-26 / 692   दिनांक 28.05.2025.
04-6-25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त).

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर मे प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S BALAJI ENTERPRISES, OFFICE ADD- 178, BAKHTAWAR MARG, DHAR
CONTECT PERSON- ANSHUL MITTAL MOB- 9827728815, 7999553033

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR-CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES **MODEL - 4**	-	-	-	-	-	-	-
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

G.I. WATER TANKER								
7	GI WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	GI WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	GI WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	GI WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	GI WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	GI WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।
   - (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
   - (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
   - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
   - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......3

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड :</u> सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......4

8. <u>अधिरोपित शास्ति</u> : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. <u>वारण्टी</u> : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

10. <u>ट्रेड सार्टिफिकेट</u> : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

11. <u>दरों की एक मात्र मान्यता</u> : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

12. <u>अन्य नियम एवं शर्ते</u> : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
04/06/25

प्रतिलिपि :- 693 / 04-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S BALAJI ENTERPRISES, OFFICE ADD-** 178, BAKHTAWAR MARG, DHAR **CONTECT PERSON-** ANSHUL MITTAL MOB- 9827728815, 7999553033

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
04/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in · CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 690

दिनांक : ~~28.05.2025~~, 04-6-2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध मे।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S GANGA INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS - NEAR KRISHI UPAJ MANDI, A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP) **CONTECT PERSON** - MANOJ RAJANI : 9425048585

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
G.I. WATER TANKER								
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 2

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।
   - (अ) प्रदाय आदेश मे सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
   - (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
   - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
   - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
   - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
   - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –
   - (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......3

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. तकनीकी मापदण्ड : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित "**सेल लेटर**" निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

10. ट्रेड सार्टिफिकेट : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. BHOPAL

11. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

12. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
04/06/25

प्रतिलिपि :- 691 04-6-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S GANGA INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** - NEAR KRISHI UPAJ MANDI, A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP) **CONTECT PERSON** - MANOJ RAJANI : 9425048585

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
04/06/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2025–26 / 632

दिनांक : 22.05.2025 28

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

RAVI M. SHIVHARE, OFFICE ADDRESS - 434 CHANDAN NAGAR, NAGPUR
CONTECT PERSON - MR. RAVI SHIVHARE : 9422825565

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	**106700**	19206	**125906**	106700	5335	20166	**132201**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	**109131**	19644	**128775**	109131	5457	20626	**135213**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	**108050**	19449	**127499**	108050	5403	20421	**133874**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	**101400**	18252	**119652**	101400	5070	19165	**125635**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	**140000**	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	**147500**	26550	**174050**	147500	7375	27878	**182753**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

---- 2

G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	**121250**	21825	**143075**	121250	6063	22916	**150229**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	**126990**	22858	**149848**	126990	6350	24001	**157341**
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	**128500**	23130	**151630**	128500	6425	24287	**159212**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	**131900**	23742	**155642**	131900	6595	24929	**163424**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 11**	**154100**	27738	**181838**	154100	7705	29125	**190930**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 12**	**161101**	28998	**190099**	161101	8055	30448	**199604**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.05.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.08.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

......3

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर ''भुगतान पश्चात् भुगतान'' की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. तकनीकी मापदण्ड : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। **(निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाईट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)**

7. सेल लेटर : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित ''सेल लेटर'' निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

......4

8. <u>अधिरोपित शास्ति</u> : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. <u>वारण्टी</u> : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. <u>ट्रेड सार्टिफिकेट</u> : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. <u>दरों की एक मात्र मान्यता</u> : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. <u>अन्य नियम एवं शर्ते</u> : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 25.03.2025 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
28/05/25

प्रतिलिपि :- 633 28-5-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल – विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **RAVI M. SHIVHARE, OFFICE ADDRESS** - 434 CHANDAN NAGAR, NAGPUR
CONTECT PERSON - MR. RAVI SHIVHARE : 9422825565

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
28/05/25